महत्वपूर्ण / गो संरक्षण
संख्या–403 / सैंतीस–2–2024–5(53)18टी0सी0–5

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0

2. निदेशक,
प्रशासन एंव विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 15 फरवरी, 2024

विषयः–प्रदेश में दिनांक 20.02.2024 से दिनांक 20.03.2024 तक **विशेष अभियान** चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त निराश्रित गो आश्रय स्थलों / संरक्षण केन्द्रों / कान्हा गौशालाओं में संरक्षित गोवंश के शत–प्रतिशत ईयर टैगिंग के संबंध में

महोदय,

आप अवगत हैं कि सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं भरण–पोषण हेतु कृत संकल्प है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में अस्थायी / स्थायी गो आश्रय स्थलों / संरक्षण केन्द्रों / कान्हा गोशालाओं का संचालन किया जा रहा है। इन केन्द्रों में संरक्षित गोवंश का Identification किये जाने एवं केन्द्रों के समुचित प्रबन्धन हेतु ईयर टैगिंग किया जाना अपरिहार्य है। इस हेतु समय–समय पर शासन द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं। उच्च स्तर पर समीक्षा में यह पाया गया कि वर्तमान में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संरक्षित गोवंशों में लगभग 75 प्रतिशत गोवंश का ईयर टैग किया गया है।

2. शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त अस्थायी / स्थायी गो आश्रय स्थलों / संरक्षण केन्द्रों / कान्हा गोशालाओं में संरक्षित गोवंशों का शत–प्रतिशत ईयर टैगिंग कराने हेतु विशेष अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके कम में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैः–

(1) दिनांक 20.02.2024 से दिनांक 20.03.2024 तक 30 दिवस का **विशेष अभियान** प्रत्येक जनपद में चलाया जाय, जिसमें प्रदेश के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित / संचालित स्थायी / अस्थायी गो आश्रय स्थलों / संरक्षण केन्द्रों / कान्हा गोशालाओं में संरक्षित गोवंश का शत–प्रतिशत ईयर टैगिंग किया जाय।

(2) जनपद स्तर पर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा अभियान का नेतृत्व किया जाय। इस हेतु जनपद में कार्यरत पशुचिकित्साधिकारियों, नगर निगमों में

तैनात पशुकल्याण अधिकारियों, पशु प्रसार अधिकारियों एवं अन्य सम्बन्धित कार्मिकों की टीमे गठित कर ईयर टैगिंग का कार्य कराया जाय।

(3) अभियान की अवधि में सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक ग्रेड–2 द्वारा जिलों में नियमित दौरा किया जायेगा तथा अभियान को गति प्रदान करते हुए सघन पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा प्रगति की साप्ताहिक सूचना निदेशक, (प्रशासन एवं विकास) पशुपालन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

(4) पशुपालन निदेशालय में स्थापित एकीकृत Command & Control Center, जिसका दूरभाष नंम्बर–0522–2741191 मो0 नं0–8765957875 है, के माध्यम से अभियान का सघन अनुश्रवण किया जाय।

(5) अभियान की प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट संलग्न प्रारूप पर मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा सम्बन्धित अपर निदेशक ग्रेड–2 को प्रत्येक शुक्रवार को प्रेषित की जायेगी। अपर निदेशक ग्रेड–2 द्वारा अपने मण्डल की समेकित सूंचना नियत प्रारूप पर प्रत्येक सोमवार को अपरान्ह तक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को ई–मेल–jdgoshala.up@gmail.com (दूरभाष नंम्बर–0522–2741191 मो0 नं0–8765957875) पर भेजी जायेगी।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by डा0 रजनीश दुबे

Date: 15-02-2024 17:45:17

Reason: Approved

(डा0 रजनीश दुबे)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या–403 (1)/सैंतीस–2–2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पशुधन विभाग, उ0प्र0।
2– विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
4– निदेशक पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
5– समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2 पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
6– समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव